# राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बाजपुर
## मैनुअल – 12 सब्सिडी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

विभाग के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन की योजनायें संचालित की जाती हैं तथा किसी लाभान्वित परिवार अथवा व्यक्ति की योजना सम्मिलित नहीं की जाती है ।

विभाग के अधीन संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बाजपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थियों में से अनुसूचित जाति/जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षार्थियों को समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृति प्रदान की जाती है। सैनिक आश्रित प्रशिक्षार्थियों को सैनिक कल्याण परिषद द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अवशेष प्रशिक्षार्थियों में से दस प्रतिशत प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग द्वारा रू 40.00 प्रति माह की दर से छात्र वेतन प्रदान किया जाता है। यद्यपि डी0एस0टी0 योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थियों को मानदेय के सम्बन्ध में कोई अनिवार्यता नहीं है, तथापि संबंधित उद्योगों द्वारा मानदेय का भुगतान किया जाता है। प्रशिक्षणरत समस्त प्रशिक्षार्थियों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में गणवेश हेतु रू 787.00 का भुगतान प्रति प्रशिक्षार्थी विभाग द्वारा किया जा रहा है।